RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
08
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए छूट / Exemptions for Mineral Exploration Drilling on Forest Land

संदर्भ:

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए **खनिज अन्वेषण गतिविधियों** के लिए वन भूमि पर अधिक बोरहोल की अनुमति दे दी है। मंत्रालय के दस्तावेज़ों के अनुसार, इसके लिए अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत अलग से मंज़ूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

समिति के प्रमुख नीतिगत निर्णय:

- **बोरहोल सीमा:** मंत्रालय ने सर्वे और अन्वेषण कार्यों के लिए **10 वर्ग किलोमीटर में 62 से 80 बोरहोल (6 इंच व्यास तक)** की अनुमति दी है। यह सीमा खनिज या अयस्क के प्रकार पर निर्भर करेगी।
- **बोरहोल क्या है:** यह पृथ्वी में गहरे और संकरे छेद होते हैं जिनका उपयोग खनिज, अयस्क, तेल या गैस की खोज के लिए किया जाता है।
- **पुराने नियम:** वन संरक्षण कानून के तहत पहले **10 वर्ग किलोमीटर में 25 बोरहोल और 80 शॉट होल** (छोटे छेद) की अनुमति थी, साथ ही 100 पेड़ों की कटाई भी छूट में शामिल थी।

पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:

- **सीमित कार्य समय:** ड्रिलिंग केवल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही होगी, ताकि वन्यजीवों की गतिविधियों के साथ तालमेल बना रहे।
- **साइट पुनर्स्थापन:** कार्य पूरा होने पर बोरहोल को सीमेंट से बंद करना अनिवार्य होगा।
- **प्रतिबंधित क्षेत्र:** इन इलाकों में ड्रिलिंग की अनुमति नहीं होगी–
  - वन्यजीवों के प्रजनन और घोंसले बनाने वाले महत्वपूर्ण आवास
  - जलस्रोत और नदी किनारे के पारिस्थितिकी तंत्र
  - उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र
  - विलुप्तप्राय/स्थानीय प्रजातियों वाले क्षेत्र
  - सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र

उद्देश्य और आवश्यकता:

- **महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर:** लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ जैसे खनिज, जो स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और आधुनिक उद्योगों के लिए अनिवार्य हैं, अधिकतर वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **व्यवसाय में सुगमता:** अस्थायी सर्वेक्षणों के लिए बार-बार केंद्रीय मंजूरी लेने की ज़रूरत खत्म होने से प्रक्रियाएँ तेज़ और सरल होंगी।
- **निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन:** यह कदम खनन अन्वेषण में निजी कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने का मार्ग खोलेगा।
- **आर्थिक विकास में योगदान:** खनिज संसाधन बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, रक्षा उत्पादन और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अहम आधार हैं।

प्रमुख चिंताएँ:

- **जैविक संतुलन पर असर:** खनन सर्वेक्षण के दौरान होने वाला शोर और कंपन जंगली जानवरों की दिनचर्या और उनके प्राकृतिक मार्गों को बाधित कर सकता है।
- **पानी के स्रोतों को खतरा:** ड्रिलिंग के दौरान निकलने वाला तेल, ग्रीस या ठोस अवशेष जंगलों की नदियों और झरनों को प्रदूषित कर सकते हैं।
- **प्रतिपूर्ति की सीमाएँ:** मौजूदा कानून केवल पेड़ कटने पर नए पौधे लगाने की बात करते हैं। लेकिन पुरानी वनस्पति, घने छत्रों और पारिस्थितिक विविधता की क्षति को इस तरह पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता।
- **स्थानीय समुदायों के अधिकार:** वन अधिकार अधिनियम, 2006 आदिवासी और पारंपरिक वनवासियों को कानूनी अधिकार देता है। यदि खनिज खोज को "वन से जुड़ी गतिविधि" मान लिया गया, तो ग्रामसभा की सहमति और सामुदायिक अधिकारों को दरकिनार किया जा सकता है।
- **कानूनी निगरानी से बचने की आशंका:** वन अधिनियम, 1980 के तहत अब तक गैर-संरक्षण गतिविधियों के लिए केंद्र से अनुमति जरूरी थी। लेकिन नई परिभाषा के बाद खनिज खोज इस प्रक्रिया से बाहर हो सकती है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे।

निष्कर्ष: खनिज अन्वेषण को "वन गतिविधि" के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को गति देना है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता, और स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए, नीतियों को इस तरह संतुलित करने की ज़रूरत है कि विकास की गति बनी रहे, लेकिन पारिस्थितिकी और जनजातीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी न हो।

पंजाब में बाढ़ / flood in punjab

संदर्भ:

पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हुई अभूतपूर्व वर्षा ने नदियों को उनकी क्षमता से कहीं अधिक उफान पर पहुँचा दिया है।

पंजाब में बाढ़ के संभावित कारण:

- **भौगोलिक स्थिति और नदियाँ:** पंजाब का भूभाग बाढ़ के लिए संवेदनशील है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी स्थायी नदियाँ तथा घग्गर जैसी मौसमी नदियाँ मानसून में उफान पर आ जाती हैं।
    1. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई भारी वर्षा का अतिरिक्त जल पंजाब में प्रवेश करता है।
    2. धुस्सी बांध (मिट्टी के तटबंध) कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार टूट जाते हैं, जैसा कि 1955, 1988, 1993, 2019, 2023, 2024 और अब 2025 की बाढ़ में देखा गया।
- **कृषि पर निर्भरता:** यही नदी तंत्र पंजाब की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिसके कारण इसे भारत का "अनाज भंडार" कहा जाता है। केवल 1.5% भूमि क्षेत्र के बावजूद पंजाब देश की लगभग 20% गेहूँ और 12% चावल की पैदावार करता है।
- **बांधों की चुनौती:** बांधों का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण है, लेकिन जब वर्षा असामान्य रूप से अधिक होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए अचानक पानी छोड़ा जाता है। यह नियंत्रित बहाव भी निचले इलाकों में बाढ़ को जन्म देता है।
    1. भाखड़ा बांध (सतलुज) और पोंग बांध (ब्यास) – भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) द्वारा संचालित।
    2. थीन (रंजीत सागर) बांध (रावी) – पंजाब प्रशासन द्वारा संचालित।
- **मानवीय लापरवाही से बढ़ता संकट:** प्राकृतिक आपदा को मानव त्रुटियाँ और गंभीर बना देती हैं। थीन बांध से छोड़े गए पानी के बाद माधोपुर बैराज में आई दरार इसका उदाहरण है।
    1. बांध और बैराज प्रशासन के बीच संचार की कमी।
    2. पानी धीरे-धीरे छोड़ने के बजाय अचानक और बड़े स्तर पर निकासी।
    3. धुस्सी बांध की कमजोरी, जिसे अवैध खनन और अनदेखी ने और नुकसान पहुँचाया।

व्यापक प्रशासनिक विफलताएँ

- **BBMB की सीमित भूमिका:** भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का मुख्य ध्यान सिंचाई और बिजली उत्पादन पर रहा है, जबकि बाढ़ नियंत्रण को गंभीरता से नहीं लिया गया।
- **चेतावनी में देरी:** पंजाब के अधिकारियों का कहना है कि अचानक पानी छोड़ा जाता है और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता।
- **राजनीतिक खींचतान:** पंजाब के जल संसाधन मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य की बाढ़ समस्या को नज़रअंदाज़ किया गया।
- **विशेषज्ञों की राय:** पर्यावरणविदों का मानना है कि भविष्य की तबाही रोकने के लिए "फ्लड कुशन", पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया और वैज्ञानिक तरीके से बांध संचालन जरूरी हैं।

बाढ़ के प्रभाव:

- **मानव जीवन पर असर:** बाढ़ के दौरान जानमाल की हानि होती है। हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है।
- **कृषि को नुकसान:** पानी भरने से धान और अन्य फसलों की बड़ी तबाही होती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है।
- **बुनियादी ढांचे पर चोट:** सड़कें, पुल और तटबंध टूट जाते हैं, जिससे परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** गंदे पानी और जलभराव से संक्रामक बीमारियों (जैसे डायरिया, डेंगू और मलेरिया) का खतरा बढ़ता है।
- **शिक्षा और आजीविका पर असर:** स्कूल, छोटे उद्योग और बाजार बंद हो जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और लोगों की रोज़गार व्यवस्था प्रभावित होती है।
- **राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव:** कृषि उत्पादन में कमी और पुनर्वास पर बढ़ा खर्च राज्य की वित्तीय स्थिति को और कठिन बना देता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** बाढ़ के दौरान मिट्टी का कटाव (soil erosion) होता है और भूजल भी प्रदूषित हो सकता है।

क्या आरक्षण 50% सीमा से अधिक होना चाहिए? / Should Reservations Exceed the 50% Cap?

संदर्भ:

बिहार में विपक्षी नेता ने सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा 85% तक बढ़ाने का वादा किया है। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एससी और एसटी के लिए 'क्रीमी लेयर' प्रणाली लागू करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions):

- **अनुच्छेद 15(4) और 15(5):** राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Backward Classes), अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में।
- **अनुच्छेद 16(4):** राज्य को यह शक्ति है कि वह सार्वजनिक रोजगार (Public Employment) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करे, यदि वे सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।
- **अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B):**
  - 16(4A) – एससी और एसटी के लिए पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण की अनुमति देता है।
  - 16(4B) – खाली रह गए आरक्षित पदों को आगे के वर्षों में ले जाने (Carry Forward) की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य को कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- **वर्तमान आरक्षण स्थिति (केंद्र स्तर पर):**
  - अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs): **27%**
  - अनुसूचित जाति (SCs): **15%**
  - अनुसूचित जनजाति (STs): **7.5%**
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): **10%**
  - **कुल आरक्षण: 59.5%**

न्यायिक फैसले: आरक्षण और समानता:

- **Balaji vs State of Mysore (1962):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण "उचित सीमा (reasonable limits)" के भीतर होना चाहिए और इसे **50% की सीमा** में रखा गया। यह निर्णय औपचारिक समानता (Formal Equality) की अवधारणा को मजबूत करता है।
- **State of Kerala vs N.M. Thomas (1975):** कोर्ट ने माना कि आरक्षण अवसर की समानता (Equality of Opportunity) को आगे बढ़ाने का साधन है और इसे **व्यावहारिक समानता (Substantive Equality)** के रूप में देखा। हालांकि, इसमें 50% सीमा पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

Indra Sawhney Case (1992): मंडल आयोग केस:

- **27% OBC आरक्षण** को बरकरार रखा।
- **50% की सीमा** को दोहराया।
- **Creamy Layer सिद्धांत** लागू किया गया, जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत OBCs को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

Janhit Abhiyan vs Union of India (2022):

- **10% EWS आरक्षण** को वैध ठहराया।
- कहा कि **50% सीमा केवल पिछड़े वर्गों पर लागू होती है**, EWS पर नहीं।

State of Punjab vs Davinder Singh (2024): कोर्ट ने सुझाव दिया कि **SCs और STs के लिए भी Creamy Layer बहिष्करण** (Exclusion) पर विचार किया जा सकता है।

50% आरक्षण सीमा के सामने चुनौतियाँ:

- **जनसंख्या का तर्क:** पिछड़े वर्गों की जनसंख्या मौजूदा आरक्षण अनुपात से कहीं अधिक है। सटीक आंकड़े जानने के लिए जाति जनगणना की माँग लगातार बढ़ रही है।
- **रिक्त पदों की समस्या:** केंद्र स्तर पर OBC/SC/ST वर्गों के लिए आरक्षित 40–50% पद खाली रह जाते हैं, जिससे आरक्षण का पूरा लाभ समाज तक नहीं पहुँच पाता।
- **उप-जातियों में असमानता:** रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में सामने आया कि OBC आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सीमित है, जबकि लगभग 1,000 समुदायों को इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया।

आरक्षण लाभों के केंद्रीकरण की समस्या:

- **OBC वर्ग में असमानता:** अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर लगभग 25% उप-जातियाँ ही करीब 97% आरक्षण लाभ हासिल कर रही हैं।
- **SC/ST में भी असंतुलन:** क्रीमी लेयर की व्यवस्था न होने के कारण अपेक्षाकृत सम्पन्न उप-जातियाँ ही अवसरों का बड़ा हिस्सा ले जाती हैं, जबकि वंचित तबके पीछे रह जाते हैं।
- **नीति शून्यता:** न्यायपालिका की बार-बार की टिप्पणियों के बावजूद, केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में यह दोहराया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी।

न्यायिक रिक्यूज़ल / Judicial Recusal

संदर्भ:
हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने अवैध खनन से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जज ने कहा कि इस मामले में एक विधायक ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्होंने यह निर्णय लिया।

न्यायिक 'रिक्यूज़ल' (Recusal) क्या है?

- **अर्थ:** रिक्यूज़ल का मतलब है जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेता है, यदि उसमें पक्षपात या हितों के टकराव (conflict of interest) की संभावना हो।
- **उद्देश्य:**
  1. न्यायाधीश की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।
  2. जनता को न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भरोसा बना रहे।
- **मूल सिद्धांत:** यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि "न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।"
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:** भारत में न्यायाधीशों के रिक्यूज़ल को लेकर कोई औपचारिक कानून या नियम नहीं हैं। यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग होने का निर्णय लेता है, तो वह बिना कारण बताए भी ऐसा कर सकता है।

न्यायिक रिक्यूज़ल (Recusal) के आधार:

- **पूर्व संबंध:** यदि न्यायाधीश का किसी पक्षकार से व्यक्तिगत या पेशेवर जुड़ाव रहा हो।
- **पूर्व वकालत:** जब न्यायाधीश ने अपने वकील कार्यकाल में उसी पक्षकार के लिए किसी मामले में पेशी की हो।
- **एकतरफ़ा बातचीत:** यदि न्यायाधीश का संबंधित पक्षों के साथ कोर्ट के बाहर संवाद या संपर्क हुआ हो।
- **स्वयं के फैसले की समीक्षा:** ऐसे मामले, जिनमें न्यायाधीश को अपने ही पूर्व निर्णय (जैसे—हाई कोर्ट में दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील) की समीक्षा करनी पड़े।
- **आर्थिक या निजी हित:** जब न्यायाधीश का किसी कंपनी या संस्था में प्रत्यक्ष आर्थिक हित (जैसे—शेयरधारिता) हो, जो उस मुकदमे का पक्षकार हो।

भारतीय कानून में स्थिति:

- **पक्षपात की आशंका का मानदंड:** भारतीय न्यायालयों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि यदि "पक्षपात की उचित संभावना" हो, तो रिक्यूज़ल उचित माना जाएगा।
- **रिक्यूज़ल के प्रकार:**
  1. **स्वैच्छिक रिक्यूज़ल:** जब न्यायाधीश स्वयं किसी मामले से अलग होने का निर्णय लेते हैं।
  2. **अनुरोध आधारित रिक्यूज़ल:** जब कोई पक्ष यह आग्रह करता है कि न्यायाधीश के संभावित पक्षपात या निजी हित के कारण उन्हें सुनवाई से हटना चाहिए।
- **निर्णय का अधिकार:** किसी भी न्यायाधीश के हटने या न हटने का निर्णय पूरी तरह उनके विवेक और अंतरात्मा पर निर्भर करता है। किसी पक्षकार को न्यायाधीश को मजबूर करने का अधिकार नहीं है।

- **प्रक्रियात्मक पहलू:** यदि कोई न्यायाधीश स्वयं को मामले से अलग कर लेते हैं, तो वह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाता है, ताकि उसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएँ:

- **भारत में कोई संहिताबद्ध नियम नहीं:** न्यायाधीशों की recusal (मामले से अलग होने) पर कोई विधिक कोड मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में इस विषय को स्पष्ट किया है।

महत्वपूर्ण मामले:

- **Ranjit Thakur v. Union of India (1987)**: कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकार को भी यह उचित आशंका हो कि न्यायाधीश पक्षपाती हो सकते हैं, तो यह recusal का पर्याप्त आधार है।
- **State of West Bengal v. Shivananda Pathak (1998)**: कोर्ट ने कहा पक्षपात न्याय की निष्पक्षता को नष्ट कर देता है और ऐसी स्थिति में न्याय अर्थहीन हो जाता है।
- **Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015)**: कोर्ट ने ठोस नियम बनाया कि यदि किसी न्यायाधीश का किसी मामले में आर्थिक हित (pecuniary interest) है, तो पक्षपात के वास्तविक खतरे या आशंका की जाँच की आवश्यकता ही नहीं है; ऐसे में स्वत: recusal आवश्यक होगा।

समस्याएँ:

- **औपचारिक नियमों का अभाव:** न्यायाधीश बिना किसी स्पष्टीकरण के मामले से खुद को अलग कर सकते हैं।
- **दुरुपयोग की संभावना:** वकील या पक्षकार न्यायाधीश पर दबाव डालकर किसी "अनुकूल पीठ" पाने के लिए रिक्यूज़ल का उपयोग कर सकते हैं।
  - इसे मामले की सुनवाई में देरी बढ़ाने की रणनीति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **जनता में अविश्वास:** जब रिक्यूज़ल के कारण स्पष्ट नहीं बताए जाते, तो लोग न्यायिक पक्षपात या बाहरी दबाव की आशंका जताने लगते हैं।
- **न्याय में विलंब:** कई बार लंबी स्थगनाओं के बाद अचानक रिक्यूज़ल लेने से कोर्ट का समय बर्बाद होता है और पक्षकारों को नुकसान पहुँचता है।

युद्ध विभाग / Department of War

संदर्भ:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग (DoD) का नाम बदलकर इसे युद्ध विभाग (Department of War) करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

युद्ध विभाग (Department of War) का इतिहास:

- **स्थापना और प्रारंभिक भूमिका:**
  - 1789 में स्थापित, युद्ध विभाग ने प्रारंभ में सेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स का संचालन किया।
  - बाद में नौसेना और मरीन कॉर्प्स को अलग विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया।
- **विश्व युद्ध II और पुनर्गठन:**
  - युद्ध विभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध तक केंद्रीय भूमिका निभाई, लेकिन संचालन में कई कमज़ोरियाँ सामने आईं।
  - 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सभी सैन्य शाखाओं को एकीकृत करके *National Military Establishment (NME)* बनाया।
  - बाद में इसे *Department of Defense (DoD)* नाम दिया गया ताकि NME के नकारात्मक अर्थ से बचा जा सके।
  - पुनर्गठन का उद्देश्य था कमांड को अधिक सुसंगठित करना और सेवाओं के बीच प्रतियोगिता को कम करना।

डोनाल्ड ट्रंप के हालिया निर्णय का तर्क

- ट्रंप ने विभाग का ऐतिहासिक नाम वापस लाने का फैसला किया, जो अमेरिकी सैन्य इतिहास और युद्ध में सफलता की परंपरा को दर्शाता है।
- यह कदम उनके व्यापक लक्ष्य को दर्शाता है: सैन्य की पहचान को युद्ध-कुशलता और आक्रामक क्षमता के केंद्र में ढालना।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार / National Teachers Awards

संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में देशभर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (National Teachers Awards)

स्थापना और आयोजक:

- यह पुरस्कार 1958 में स्थापित किया गया था।
- आयोजन **शिक्षा मंत्रालय** के तहत **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** द्वारा किया जाता है।

चयन प्रक्रिया:

- चयन तीन चरणों में ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होता है: **जिला स्तर → राज्य स्तर → राष्ट्रीय स्तर**।
- यह प्रक्रिया शिक्षक की प्रतिबद्धता, नवाचार और उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए योगदान को ध्यान में रखकर की जाती है।

पुरस्कार वितरण:

- पुरस्कार हर साल **5 सितंबर (शिक्षक दिवस)** को भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य शिक्षकों के प्रयासों और उत्कृष्टता को सार्वजनिक रूप से मान्यता देना है।

उद्देश्य:

- शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करना।
- उन शिक्षकों को पहचान देना जिन्होंने नवाचार और समर्पण के माध्यम से स्कूल शिक्षा में सुधार किया और छात्रों के जीवन को समृद्ध किया।

अवसर: पुरस्कार **शिक्षक दिवस** के अवसर पर दिए जाते हैं, जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक-शिक्षाविद थे।

अयोग्यता:

- ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जो कम से कम चार महीने तक (यानी 30 अप्रैल तक) सेवा में नहीं रहे।
- शिक्षक/प्रधानाचार्य जो ट्यूशन में लिप्त रहे।
- संविदा शिक्षक और **शिक्षा मित्र (Shiksha Mitras)**।

अंगीकार 2025 / Angeekaar 2025

संदर्भ:

शहरी मामलों और आवास मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत "अंगीकार 2025" योजना का शुभारंभ किया।

अंगीकार 2025

परिचय: अंगीकार 2025 एक व्यापक जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य **प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)** के कार्यान्वयन को तेज करना है।

- इसके माध्यम से देशभर में योजना की जानकारी आम जनता तक पहुँचाई जाएगी।

अवधि और कवरेज:

- यह अभियान **4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025** तक चलेगा।
- पूरे भारत के **5,000+ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** में इसे लागू किया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य और क्रियाएँ:

- योजना के तहत आवेदनों की **तेज़ सत्यापन प्रक्रिया** सुनिश्चित करना।
- पहले से स्वीकृत घरों के निर्माण को **अग्रिम गति देना**।
- **कम आय वाले घरों के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (CRGFTLIH)** को बढ़ावा देना।
- **PM सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना** जैसी अन्य योजनाओं के लाभों का समन्वय करना।
- विशेष ध्यान समूहों के लिए आवास की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष: *अंगीकार 2025* एक विशेष अभियान है जो **PMAY-U 2.0** के तहत आवेदन सत्यापन, स्वीकृत मकानों के शीघ्र निर्माण और अन्य योजनाओं से लाभों के एकीकरण पर केंद्रित है। यह अभियान **5,000 से अधिक शहरी निकायों** में चलाकर **तेज़ लाभ वितरण, जागरूकता बढ़ाने और विशेष समूहों को प्राथमिकता देने** का उद्देश्य पूरा करेगा।

एनवाफोलिमैब / Envafolimab

संदर्भ:

Glenmark ने स्टेज III नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (NSCLC) के इलाज के लिए Envafolimab की बहु-देशीय फेज़ 3 क्लीनिकल ट्रायल शुरू किया है।

फेफड़े का कैंसर (Lung Cancer)

परिभाषा: फेफड़ों में असामान्य कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि करना फेफड़े का कैंसर कहलाता है। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।

लक्षण:

- लगातार खांसी जो ठीक नहीं होती
- छाती में दर्द
- सांस लेने में कठिनाई

मुख्य प्रकार:

नॉन-स्मॉल सेल कार्सिनोमा (NSCLC):

- सबसे आम प्रकार
- धीरे-धीरे बढ़ता है
- उपप्रकार:
  - **एडेनोकार्सिनोमा:** फेफड़े के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है।
  - **स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा:** आमतौर पर फेफड़े के केंद्र में, ब्रॉन्कस के पास स्थित।
  - **लार्ज सेल कार्सिनोमा:** फेफड़े के किसी भी हिस्से में हो सकता है।

स्मॉल सेल कार्सिनोमा (SCLC):

- कम आम
- तेजी से बढ़ता है और अक्सर जल्दी फैलता है।

GS FOUNDATION
For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Baaten Bazar Ki
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

FREE

EMI AVAILABLE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR